228

संख्या–1392/XVIII(II)/2012–18(28)/12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांकः 16 अगस्त, 2012

विषयः–जनपद लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम पऊ, तहसील लोहाघाट में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.070 है0 भूमि पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2021/सात–भू0अ0/2012 दिनांक–28.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–28/18(2)/09 दिनांक–06.01.09 के क्रम में शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों को शिथिल करते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को केन्द्रीय विद्यालय लोहाघाट, चम्पावत की स्थापना हेतु ग्राम पऊ, तहसील लोहाघाट में आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन कुल 0.070 है0 भूमि निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895

के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– कृपया तदक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– 1392/संमदिनांकित/2012

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।